

आदेश के द्वारा प्रस्तुत प्रकल्प राज्यपुरीकित आई १९९९, जिला कलकत्तर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
 प्रकल्प संख्या :- ३३३/२०२३ (दिनांक १३ सितम्बर २०२३)

प्राची वित्तीय संस्था

बचाम

१. श्रीमती आशा देवी समेत पत्नी श्री कल्याण चन्द समेत
२. श्री कल्याण चन्द समेत पुत्र श्री वैजनाथ
३. श्री कल्याण समेत पुत्र श्री कल्याण चन्द समेत

दिनांक : १३/०८/२०२३ दिनांक १३-०८-२०२३ आदेश आई १९९९ स्कूल को सामने, लू सांगाचेर, जयपुर।
 दिनांक २७ की आदेश को जारी, राज नगर जयपुर।
 दिनांक २७-९ आदेश को जारी, हाथवाला, राजनगर-प्रथम, सांगाचेर, जयपुर।

अप्राधीगण

कृष्णी एवं मास्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
 Security Interest Act 2002.

उपस्थित - श्री विनोद चौहान, अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 06.02.2023

१. स्तोप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राधी कृष्णी को पुनर्मुगतात हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राधी श्रीमती आशा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नम्बर १३ का दक्षिणी हिस्सा, वैजव नगर, कल्याणपुर, सांगाचेर, जयपुर क्षेत्रफल ३३.७८ वर्ग मीटर को बंधक रख कर दिनांक २६.११.२०१९ को राशि ४३,००,००१/- रुपये व दिनांक २७.११.२०१९ को राशि ३,६६,३४९/- रुपये कुल राशि ६१,६६,३५०/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राधी कृष्णी द्वारा प्राची वित्तीय संस्था को ऋण मुगतात करने में असफल रहने पर अधिवक्ता की धारा १३(२) के अन्तर्गत अप्राधी कृष्णी को दिनांक १०-०८-२०२२ को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मध्य ब्याज मुगतात नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा १३ के तहत प्राचीना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का शीतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक नोटिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
२. प्राचीना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुश्रीम अधिवक्ता को भीर से सूना गया। पञ्चावली का मतीमाति अवलोकन किया गया।
३. पञ्चावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राधीगणों को ६१,६६,३५०/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित

जिला मजिस्ट्रेट
 (कल्याणपुर) जयपुर

सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 59,20,833/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती आशा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नम्बर 14 का दक्षिणी हिस्सा, भैरव नगर, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 83.78 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दीखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर